संख्या- 202/2018/2522/71-1-2018-जी-402/2013

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 13 जुलाई, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 50 सीटेड पी0जी0 मैरिड छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3992, दिनॉक 29-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 50 सीटेड पी0जी0 मैरिड छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु रू0 8,56,35,000/- की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-64/333/71-1-14-जी-402/2013, दिनॉक 17-12-2014 द्वारा प्रदान की गयी है। लागत पुनरीक्षित होने के कारण शासनादेश संख्या-200/2018/1399/71-1-18-जी-402/2013, दिनॉक 11-07-2018 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 1077.75 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गई। उक्त प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 8,56,35,000/- की धनराशि निर्गत कर दी गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	शासनादेश संख्या-64/333/71-1-14-जी-402/2013, दिनॉक 17-12-2014	181.63
2	शासनादेश संख्या-160/2015/1904/71-1-15-जी-402/2013, दिनॉक 16-09-2015	246.54
3	शासनादेश संख्या-22/2017/3255/71-1-16-जी-402/2013, दिनॉक 10-02-2017	385.36
4	शासनादेश संख्या-6/2018/122/71-1-18-जी-402/2013, दिनॉक 24-01-2018	42.82
	योग-	**856.35**

2- आपके उक्त पत्र के क्रम में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 50 सीटेड पी0जी0 मैरिड छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 533.66 लाख (रू0 पॉच करोड़ तैंतीस लाख छाछठ हजार मात्र) में से रू0 167.52 लाख (रू0 एक करोड़ सड़सठ लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

3- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

4- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नही रखी जायेगी।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी। मेडिकल कालेज/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाए।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

12- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी की श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

14- शासनादेश संख्या-200/2018/1399/71-1-18-जी-402/2013, दिनॉक 11-07-2018 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

संख्या:- 202/2018/2522(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
6- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, गोरखपुर।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in